

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -1522 / 2013 / हनुमानगढ़

मैसर्स भारत कॉटन जिनिंग राइस एण्ड दाल मिल,
पीलीबंगा, हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत-बी, हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.06.2017


निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) की अपील संख्या 105/आरवेट/हनुमानगढ़/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वृत बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23, 24, 55, 58, 18, 4(2) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2013/19.04.2012 के जरिये अभिनिर्धारित मांग राशि को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी ने वर्ष 2009-10 में की गई राँ कॉटन से जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई, बिनौला तथा बिनौला से बिनौला तेल एवं खल का निर्माण किया। इन उत्पादों रूई, बिनौला तेल एवं खल का विक्रय राज्य एवं अन्तर्राज्यीय किया। निर्माण प्रक्रिया में कॉटन से रूई 35 प्रतिशत, तेल बिनौला 7.5 प्रतिशत तथा खल बिनौला 53 प्रतिशत वजनानुसार निर्माण माना। व्यवहारी द्वारा राँ कॉटन की स्थानीय खरीद पर शत प्रतिशत इनपुट क्रेडिट का क्लेम किया। सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा निर्मित बिनौला खल के करमुक्त होने के कारण आनुपातिक आधार पर खरीदे गये कच्चे माल पर चुकाये गये कर के संबंध में व्यवहारी द्वारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया है, उसे रिवर्स कर दिया एवं रिवर्स टैक्स, ब्याज तथा शास्ति का आरोपण किया। व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अविधिक बताते हुए कथन किया गया कि व्यवहारी एक तेल निर्माण इकाई है न कि खल निर्माण इकाई। उसने जो लाईसेन्स लिया है वह भी तेल निर्माण के लिये ही लिया है। उसके द्वारा कच्चे माल के रूप में राँ कॉटन राज्य में






लगातार.....2

पंजीकृत व्यापारियों से क्रय की जाती है और उसकी पिलाई तेल निर्माण के लिये की जाती है। तेल निर्माण की मुख्य प्रक्रिया के तहत खल का निर्माण भी होता है जो एक प्रकार का बाई प्रोडेक्ट है। व्यवहारी ने खल निर्माण के लिये रॉ कॉटन की मीलिंग नहीं की है। इसलिये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रतिशत के आधार पर खल निर्माण में रॉ कॉटन काम लेना मानते हुए व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये आईटीसी को रिवर्स किया गया है, वह न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

उन्होंने आगे कथन किया कि अधिनियम की धारा 2(33) में परिभाषित रिवर्स टैक्स उस परिस्थिति में ही हो सकता है जब बिक्री धारा 18 में वर्णित के अलावा हो। व्यवहारी ने धारा 18 का उल्लंघन नहीं किया है। कच्चा माल विनिर्माण प्रक्रिया के डालते हुए यह तय नहीं होता है कि रॉ कॉटन के कौनसे भाग से तेल बनेगा तथा कौनसे भाग से खल बनेगी। धारा 18(1) के अन्त में अंकित प्रावधान उन परिस्थितियों में लागू होंगे जहां अलग कच्चे माल से करमुक्त तथा करयोग्य माल का विनिर्माण होता है। ~~26-PHT-532 (HTT)~~ अतः व्यवहारी को अधिनियम की धारा 18 के तहत सम्पूर्ण रॉ कॉटन पर आईटीसी क्लेम स्वीकार किया जावे। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में 127 एसटीसी पेज 313 (पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय), माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा सीटीओ प्रतिकरापवंचन बनाम मेसर्स दुर्गेश्वरी फूड लि० श्रीगंगानगर के प्रकरण में पारित निर्णय 23 टैक्स अपडेट पेज 360, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 85 एसटीसी पेज 220, पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 123 एसटीसी पेज 449, 45 एसटीसी पेज 197, 74 एसटीसी पेज 288, 93 एसटीसी पेज 299, 104 एसटीसी पेज 341 के उद्धरण प्रस्तुत किये। धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज को भी अनुचित बतलाते हुए अपास्त करने एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण के समान ही अन्य प्रकरण (माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009) के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत सेल्स टैक्स निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेट अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधियों में रॉ कॉटन/खल की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल खल की बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स एवं अपंजीकृत खरीद के लिये क्रय कर आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील अपास्त किया जाना विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स, क्रय कर एवं ब्याज को यथावत रखा जाना उचित बतलाया। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।





उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी एक तेल निर्माण इकाई है और उसके द्वारा राज्य के विभिन्न पंजीकृत व्यापारियों से रॉ कॉटन क्रय कर कच्चे माल के रूप में तेल निर्माण हेतु काम लिया गया है। इस तेल निर्माण की प्रक्रिया में तेल व खल दोनों का निर्माण हुआ है।

अधिनियम की धारा 18(1)(e) का मूल पाठ इस प्रकार है :-

18. Input tax credit:- (1) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the state from registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of -

(a) (b), (c), (d)

(e) being used as raw material in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce; or

(f) being used as raw material in the manufacture of goods for sale in the course of export outside the territory of India; or


(g) being used in the State as capital goods;


however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि क्रय की गई वस्तु से कर योग्य एवं करमुक्त माल का निर्माण होता है तो निर्माण के अनुपात के आधार पर केवल करयोग्य माल के निर्माण से संबंधित क्रय किये गये माल पर ही आईटीसी स्वीकृत की जा सकती है करमुक्त माल के निर्माण में काम आये माल पर नहीं। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों में प्रस्तुत निर्णय राजस्थान मूल्य परिवर्धित अधिनियम, 2003 के प्रावधानों पर आधारित नहीं होकर अन्य राज्यों के अधिनियम के अन्तर्गत विहित भिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते हुए माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त उद्धृत निर्णय में दी गई व्यवस्था के आलोक में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

परिणामस्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य